THE UTTAR PRADESH NAGAR MAHAPALIKA (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1970

(U. P. ACT No. 8 of 1970)

[*Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika (Sanshodan) Adhiniyam, 1970].

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959 and the Uttar Pradesh Mahapalika (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam, 1966.

It is hereby enacted in the Twenty-first Year of the Republic of India as follows :-

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika (Sanshodhan) Adhiniyam, 1970.

Short title.

In section 208 of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959, hereinafter referred to as the principal Act, for the words "When the assessment list has been prepared" the words "When assessment list for the of 1959. whole of the City or of any word thereof containing the particulars mentioned in clauses (a) to (c) of section 207 has been prepared" shall be substituted, and for the words, "the list", wherever occurring, the words "that list" shall be sustituted. 1 1%

Amendment of Section 208 Act No. 11

3. In section 209 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "entered therein" the words and figures "entered in the list mentioned in section 209. section 208" shall be substituted.

4. For section 210 of the principal Act the following section shall be substituted, namely :-

Amendment of section 210.

- (1) After the disposal of all objections pertaining to the list "210. for the City of any ward thereof, as the case may be, the Chairman of the Committee or of the Sub-Committee concerned, if any, shall authenticate by his signature that list as well as all amendments made therein under sub-section (3) of section 209.
- (2) Every list so authenticated shall be deposited in the office of the Mahapalika.
- (3) As soon as the list for the entire City is so deposited it shall be declared by public notice to be open for inspection."
- 5. In section 211 of the Principal Act, in sub-section (2) for the words "until the first day of April next following the completion of the new list" the words "until the first day of April or the first day of October next following the completion of the new list, whichever is earlier" shall be substituted.
- 6. In the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam, 1966, in the opening paragraph of section 2 for the words "three years and eleven months" the words "four years and eleven months" shall be substituted.
- 7. The Uttar Pradesh Nagar Mahapalika (Sandhodhan) Adhyadesh, 1969 is hereby repealed.

Repeal of U.P. Ordinance 10 of 1969.

^{*(}For Statement of Objects and Reasons, please see Uttar Pradesh Gazette (Extraordinary), dated March 4, 1970).

⁽Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on March 11, 1970 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on March 21, 1970.)

⁽Received the Assent of the Governor on March 31, 1970 under Article 200, of the Constitution of India, and was published in the Uttar Pradesh Gazette (Extraordinary), dated April 2, 1970).

उतर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) ग्रिधिनियम, 1970

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1970)

(उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 11 मार्च, 1970ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 21 मार्च, 1970 ई० की वैठक में स्वीकृत किया ।)

('भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गंत राज्यपाल ने दिनांक 31 मार्च, 1970 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 2 अप्रैल, 1970ई० को प्रकाशित हुआ।)

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका ग्रिधिनियम, 1959 तथा उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (ग्रत्यकालिक व्यवस्था) ग्रिधिनियम, 1966 का ग्रेग्रेतर संशोधन करने के लिए

ग्रधिनियम

भारत गणराज्य के इक्कीसर्वे वर्ष में निम्नलिखित ग्रिधिनियम बनाया जाता है :--

1 —- यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अधिनियन, 1970 संक्षिप्त नाम कहलावेगा।

2-- उत्तर प्रदेश नगर महापालिका श्रिधिनियम, 1959, जिसे झागे मूल झिधिनियम कहा गया है, की घारा 208 में, शब्द ''निर्घारण सूची तैयार हो जाने पर,'' के स्यान पर शब्द "जब सम्पूर्ण नगर या उसके किसी कक्ष के लिये निर्घारण सूची, जिसमें घारा 207 के खण्ड (क) से (इ) तक के ज्योरे दिये हों, तैयार हो जायं तब'' रख दिये जायें, और जहां-जहां पर शब्द ''सूची'' या शब्द ''ऐसी सूची'' झाये हों उन के स्थान पर शब्द "उक्त सूची" रख दिये जायें।

उत्तर प्रदेश श्रिख-नियम सं० 2, 1959 की धारा 208 का संशोधन

3--मूल प्रधिनियम की धारा 209 की उपधारा (1) में, शब्द "सूची में वर्ज" के स्थान पर शब्द तया श्रंक "धारा 203 में उल्लिखित सूची में दर्ज" रख दिये जायें।

धारा 209 का संशोधन

4--मूल ग्रधिनियम की धारा २१० के स्यान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाव, ग्रर्थात्--

धारा 210 का संशोधन

"210--(1) नगर या उसके किसी कक्ष के लिए, जैसी भी दशा हो, सूची से सम्बन्धित आपित्तियों का निवटारा हो जाने के पश्चात, समिति या सम्बन्धित उप-समिति, यि कोई हो, का समापित उक्त सूची को और धारा 209 की उपधारा (3) के अबीत उसने कि रे गरे सभी संशोधनों को भी अपने हस्ताक्षर से प्रमाणीकृत करेगा।

- (2) इस प्रकार प्रमाणो हुत प्रत्येक सूची महापालिका के कार्यालय में जभा कर दी जायेगी।
- (3) जब सम्पूर्ण नगर की सूची इस प्रकार जमा कर दी जाय तब वह सार्वजिक नोटिस द्वारा निरोक्षण के लिए उपलब्ध घोषित कर वी जायगी।"

5---मूल ग्रधिनियम की धारा 211 में उपधारा(2) में, शब्द "नई सूची के पूर्ण होने के पश्वात् धारा पड़ने वाली पहली ग्रप्रैल तक" के स्थान पर शब्द "नई सूची के पूर्ण होने के पश्चात् पड़ने वाली पहली ग्रप्रैल संशोधन ग्रथवा पहली ग्रवत्वर, जो भी पहले हों, तक" रख विये जायें।

धारा 211 का संशोधन

6--उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (ग्रत्यकालिक व्यवस्था) श्रधिनियम, 1966 में घारा 2 के प्रारम्भिक पैरा में शब्द "तीन वर्ष ग्यारह महीने" के स्थान पर शब्द "चार वर्ष और ग्यारह महीने" रख वि रो नार्ये।

उ०प्र० अधिनियम संख्या ४, 1966 का संशोधन

7-- उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) ग्रह्मादेश, 1969 एतवृद्धारा निरस्त किया जाता है।

उ० प्र० ग्रह्मा-देश सं० 10, 1969 का निरसन

⁽उद्देश्य श्रीर कारणों के विवरण के लिए क्रुपया दिनांक 4 मार्च, 1970 ई॰ का सरकारी ग्रसाधारण गजट देखिये)।